

**न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत**

पीठासीन अधिकारी - अभिषेक सुराणा, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री ओम प्रकाश व्यास पुत्र स्व. श्री मदनलाल जी व्यास उम्र 64 वर्ष निवासी देलवाड़ा रोड़, आबूपर्वत तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही		1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, आबूरोड़। 2. आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत।

प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भूमि अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2020

दिनांक :- 08/11/2021

**आदेश**

यह कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पिताजी स्व. श्री मदनलाल जी व्यास को नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा एक भूखण्ड जिसका नाप  $150 \times 60 = 9000$  वर्ग फिट मौजा देलवाड़ा रोड़ आबूपर्वत पर सन् 1965-66 में विक्रय किया था। जिसमें वादी द्वारा मकान बनाया गया उक्त आवासीय भूमि मौके पर 9000 वर्ग फिट है परन्तु जमाबंदी में एवं नक्शे में उक्त आवासीय भूखण्ड को जो खसरा नम्बर 23/494 में गैर मुमकिन मकान दर्शाया हुआ है उक्त जमीन को छोटा दर्शाया गया है जो वक्त सेंटलमेंट सहवन से ऐसा हो गया है। वादी की ही एक अन्य खातेदारी की भूमि जो कि खसरा नंबर 23 में स्थित है उसका बड़ा बताया (दर्शाया) गया हैं। वर्तमान में खसरा नंबर 23/494 की भूमि 4 बिस्वा बताई हुई है एवं खसरा नंबर 23 की खातेदारी की भूमि 10 बिस्वा बताई हुई जबकि वास्तव में खसरा नंबर 23/494 की भूमि 7 बिस्वा होनी चाहिए एवं खसरा नंबर 23 की खातेदारी की भूमि 7 बिस्वा होनी चाहिए। यह कि वादी को वर्ष 2014 में रूपयों की आवश्यकता पड़ी तो वादी ने अपनी उक्त सम्पत्ति को बेचकर अपना काम निकालना चाहा तब वादी की जानकारी में आया कि उपरोक्त अनुसार वक्त सेंटलमेंट तत्कालीन पटवारी अथवा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा त्रुटि हो गई है। यह कि वादी ने उक्त त्रुटि को दुरुस्त कराने हेतु वादी की जानकारी एवं ज्ञान अनुसार कार्यवाही शुरू की परन्तु बार-बार चक्कर काटने के बाद भी वादी को त्रुटि दुरुस्त कराने में सफलता नहीं मिली। यह कि वादी द्वारा वर्ष 2014 में दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिया था तब तत्कालीन राजस्व निरीक्षक एवं तत्कालीन तहसीलदार द्वारा GPS द्वारा नक्शा तैयार किया गया जिसमें उक्त पट्टा दोनो खसरा नंबर 23 एवं 23/494 होना बताया गया हैं। जिसमें रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 23/494 0.07 बिस्वा होना माना है। यह कि वादी को उक्त सम्पत्ति की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में सही तरमीम कराना अतिआवश्यक हैं ताकि भविष्य में वादी अथवा वादी पुत्र को किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सानीगांव में वादी के खाते मे खसरा नं. 23 रकबा 0.12645 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी व 23/494 रकबा 0.05058 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान दर्ज रेकर्ड है। जो कि भू-प्रबन्ध के समय से ही दर्ज है। उक्त जारी पट्टा मौके अनुसार खसरा नंबर 23 व 23/994 में है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा कथन किया कि आयुक्त, नगरपालिका आबूपर्वत को बेवजह प्रतिवादी बनाया जा रहा है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि नगरपालिका पट्टे का राजस्व रेकर्ड में इन्द्रज नहीं होता है। ग्राम सानीगांव में वादी के खाते में खसरा नं. 23 रकबा 0.12645 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी व 23/494 रकबा 0.05058 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी द्वारा जिस पट्टे के आधार पर राजस्व रिपोर्ट में शुद्धि चाही जा रही है। वह नगरपालिका के द्वारा दिया गया है।




सहायक कलक्टर  
आबूपर्वत (सिरोही)

भू-प्रबन्ध के समय से खसरा संख्या 23 व 23/494 का रकबा यथावत है। ऐसी परिस्थिति में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या शुद्धि का प्रकरण साबित नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्व भूमि अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
आबुपर्वत (राजस्थान)

